

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

15 मई, 2025 ई०

संख्या 88/XVIII(3)/2025-03(02)/2023-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन होंगे :-

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
देहरादून	देहरादून	पछवादून	क्यारकुली भट्टा

आज्ञा से,

डॉ० सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of **Notification No. 88/XVIII(3)/2025-03(01)/2025**, dated May 15, 2025 for general Information.

NOTIFICATION

May 15, 2025

No. 88/XVIII(3)/2025-03(01)/2025--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act, No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the Village mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette :-

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Dehradun	Dehradun	Pachhuwadun	Kyarkulibhatta

By Order,

DR. SURENDRA NARAYAN PANDE,
Secretary, Revenue.

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 24-05-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 26 राजस्व/281-23-06-2025-50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।